



भरतिया कृषि विज्ञान केन्द्र, फतेहपुर (सीकर)
 श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर

नविदा सूचना क्रमांक: केवीके / एफटीआर / फार्म / 2018 / 326		दिनांक: 01.10.2018	
1. योजना का नाम	हिस्सा आधारित खेती		
2. बजट हेड	रिवोल्विंग फंड		
3. कार्य की अनुमानित अवधि	रबी 2018-19 , एक सीजन		
4. धरोहर राशि की प्रकृति व राशि	3000 / -		
5. निविदादाता / कोन्ट्रेक्टर द्वारा किये जाने वाले कार्य का विवरण:			
क्र.सं.	विवरण	हिस्सेदारी	(प्रतिशत)
1.	चारा उपज	कोन्ट्रेक्टर द्वारा रखा जाने वाला हिस्सा	
		कोन्ट्रेक्टर द्वारा केन्द्र को दिया जाने वाला हिस्सा	
2.	दाना / बीज उपज	कोन्ट्रेक्टर द्वारा रखा जाने वाला हिस्सा	
		कोन्ट्रेक्टर द्वारा केन्द्र को दिया जाने वाला हिस्सा	
3.	कोन्ट्रेक्टर द्वारा लिखी जाने वाली अन्य कोई शर्त या विवरण		
अ.			
ब.			
स.			

नियम एवं शर्तें:-

1.	ट्रेक्टर सम्बन्धी कार्य तथा डिस्क प्लाउ, हेरो, कल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी कार्य, सीड ड्रिल द्वारा बुवाई, फर्टीलाइजर ड्रिलिंग कार्य आदि की व्यवस्था केन्द्र द्वारा ही की जावेगी अर्थात इनसे सम्बन्धित डीजल खर्च, वाहन चालक व्यवस्था में निविदादाता का कोई योगदान नहीं रहेगा।
2.	बुवाई के दौरान एवं फसल वृद्धि के दौरान लगने वाले बीज, खाद एवं उर्वरक, फंफूदनाशक, कीटनाशक, कल्चर आदि की आपूर्ति केन्द्र द्वारा ही की जायेगी।
3.	बुवाई से लेकर फसल थ्रेसिंग तक की प्रक्रिया में लगने वाले श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करने होंगे।
4.	स्वीकृति निविदादाता को सिंचाई सम्बन्धी पाइप, फव्वारे, बेंड, टी, डाट आदि गिनकर लिखित रूप में प्राप्त करने होंगे तथा कार्य समाप्त होने तक सारी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी एवं उतनी ही संख्या में गिनकर ही लौटाने होंगे।
5.	विभिन्न प्रकार की सस्य क्रियायें फार्म मैनेजर/इंचार्ज व कार्यक्रम समन्वयक के निर्देशानुसार करनी होंगी तथा सारा श्रमिक व्यय निविदादाता को वहन करना होगा।
6.	थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाले बीज उत्पाद के हिस्सादारी के अनुसार कॉन्ट्रेक्टर को राज्य सरकार / केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित फसल निकालने के समय जो भी समर्थन मूल्य रहेगा उसके हिसाब से एवं जिन फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं हुआ हो उन फसलों का थ्रेसिंग/तुलाई के समय उपज मंडी के 07 दिनों के औसत भाव के आधार पर उसके हिस्से के उत्पाद का चैक द्वारा भुगतान कर दिया जायेगा।
7.	फसल कटाई के मामलों में कटी हुई फसलों को कहां इक्कठा करना है व कितने ढेर बनाने हैं इसके लिए फार्म इंचार्ज अथवा कार्यक्रम समन्वयक से सम्पर्क करना होगा तथा प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों को देखते हुये फसल इक्कठा करने के लिये ट्रेक्टर ट्रौली की सुविधा केन्द्र द्वारा दी जा सकती है परन्तु यह शर्त केन्द्र के लिये बाध्य नहीं होगी।
8.	निराई गुड़ाई, कटाई, थ्रेसिंग तथा अन्य सम्बन्धित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुये निविदादाता को करने होंगे। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार फार्म मैनेजर/इंचार्ज अथवा कार्यक्रम समन्वयक को होगा।
9.	फसल की थ्रेसिंग के पश्चात साफ किये फसल उत्पादन को बोरियों में भरकर फार्म मैनेजर/इंचार्ज/कार्यक्रम समन्वयक द्वारा बताये अनुसार तोलकर गोदाम में बोरियों की ढांग निविदादाता को लगानी होगी।
10.	थ्रेसिंग में लगे मशीनरी का खर्चा निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा।
11.	थ्रेसिंग के बाद फसल उत्पादन को खलिहान से गोदाम तक लाने के लिए फार्म ट्रेक्टर ट्रौली उपलब्ध करवा दी जावेगी।
12.	फसल में थिनिंग/रोगिंग कार्य फार्म मैनेजर /फार्म इंचार्ज की देखरेख में निविदादाता को ही करना होगा।
13.	पम्प व ट्यूब वैल मोटर ओपरेशन सम्बन्धी कार्य निविदादाता को ही करना होगा व इनकी देखरेख का कार्य भी निविदादाता को ही करना होगा।
14.	ट्यूब वैल के विद्युत बिल का भुगतान केन्द्र फार्म द्वारा वहन किया जायेगा।
15.	निविदादाता को निविदा मंजूर होने के पश्चात एवं कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व 100 रु0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि मेरा कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने अथवा फार्म से सम्बन्धित फार्म मैनेजर /इंचार्ज /अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बताया गया कार्य समय पर संतुष्टि पूर्ण पूरा न करने पर केन्द्र कमेटी के निर्णय के आधार पर मेरी निविदा निरस्त की जा सकती है।
16.	बिना कोई कारण बताये निविदा को निरिस्त करने का अधिकार फार्म मैनेजर/इंचार्ज/ कार्यक्रम समन्वयक का निर्णय अंतिम होगा जो कि कॉन्ट्रेक्टर को मान्य होगा।

<p>मुझे निविदा की समस्त शर्तें (1 से 16 तक) मंजूर हैं तथा मैं उपरोक्त शर्तों पर कार्य करने के लिये सहमत हूँ।</p> <p>निविदादाता (कॉन्ट्रेक्टर) के हस्ताक्षर दिनांक सहित नाम व पता एवं मोबाइल नं०</p>	<p>फार्म इंचार्ज के हस्ताक्षर मय सील</p>	<p>कमेटी सदस्य</p>